न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00076 (76/2019)

1. गुड्डी देवी पुत्री श्री डालूराम पुत्र श्री आसाराम पत्नी श्री बलूराम जाति नाई निवासी ताखरांवाली सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। –अपीलान्ट

बनाम

1. गौरांदेवी पत्नी स्व0 श्री नत्थूराम
2. गुड्डी देवी पुत्री श्री नत्थूराम
3. जगदीश कुमार पुत्र स्व0 श्री नत्थूराम
4. दलीप कुमार पुत्र स्व0 श्री नत्थूराम

} अकवाम नाई निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ। – रेस्पोडैन्ट

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
6. कृष्ण पुत्र मंगतूराम जाति नाई निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. संतूराम पुत्र श्री मंगतूराम पुत्र आसाराम (फौत)
   - 7/1 विद्यादेवी पत्नी स्व0 श्री संतूराम
   - 7/2 कुलदीप पुत्र स्व0 श्री संतूराम
   - 7/3 विनोद पुत्र स्व0 श्री संतूराम
   - 7/4 ताराचंद पुत्र स्व0 श्री संतूराम
   - 7/5 निम्मा देवी पुत्री स्व0 श्री संतूराम

   } अकवाम नाई निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. बलराम
9. देवीलाल
10. बजरंग

} पिसरान मंगतूराम पुत्र आशाराम अकवाम नाई निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

11. गीता पत्नी गणपतराम पुत्री ख्यालीराम दत्तक पुत्र स्व0 चावली देवी बेवा हरखाराम जाति नाई निवासी फरसवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. शिमलादेवी पत्नी नत्थूराम पुत्री ख्यालीराम दत्तक पुत्र स्व0 चावली देवी बेवा हरखा निवासी गणेशगढ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. बृजलाल
14. सैनपाल

} पिसरान ख्यालीराम दत्तक पुत्र चावली देवी बेवा हरखा निवासीगण धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ।

15. रामेश्वर पुत्र जैसाराम पुत्र नानूराम जाति नाई निवासी धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ।
16. पृथ्वीराज पत्र जैसाराम (लावल्द फौत) नाम कलमजन
17. मनफूल पुत्र जैसाराम (फौत) नाम कलमजन
18. बहादुरराम पुत्र स्व0 श्रीमति लादूड़ी पुत्री नानूराम जाति नाई निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
19. दौलतराम पुत्र स्व0 श्रीमति लादूड़ी पुत्री नानूराम जाति नाई निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
20. रामप्रताप पुत्र स्व0 श्रीमति लादूड़ी पुत्री नानूराम जाति नाई निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
21. राजू देवी पत्नी रामकुमार पुत्री स्व0 श्रीमति लादूड़ी पुत्री नानूराम जाति नाई निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

22. गुड्डी पुत्री लादूड़ी उर्फ लादूदेवी पत्नी अंतराम जाति नाई निवासी धर्मपुरा अबोहर, पंजाब।
23. मित्री उर्फ गीता पत्नी पृथ्वीराज पुत्री हरजीराम जाति नाई निवासी भारूखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा, हरियाणा।
24. कृष्णादेवी पत्नी स्व0 श्री धोंकलराम
25. धर्मपाल पुत्र स्व0 श्री धोंकलराम
26. रणवीर पुत्र स्व0 श्री धोंकलराम
} अकवाम नाई निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
27. विमलादेवी बेवा स्व0 श्री बद्रीराम पुत्र श्री जैसाराम
28. राजेन्द्र
29. चन्द्रभान
} पुत्रगण स्व श्री बद्रीराम पुत्र श्री जैसाराम
30. कैलाश पुत्री स्व0 श्री बद्रीराम पुत्र श्री जैसाराम
31. बलवीर पुत्र जैसाराम पुत्र श्री नानूराम
32. कमला
33. संतोष
} पुत्रियाँ जैसाराम पुत्र श्री नानूराम
} अकवाम नाई निवासीगण धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ प्र0 संख्या 103/2018 बअनवानी गौरादेवी आदि बनाम सरकार

श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1, 2, 4
श्री शिवराज सिंह खोसा रेस्पो0 सं0 3
श्री बहादर राम स्वामी 7 से 14, 19 ता 22, 24 से 33
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक – 19.07.21

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी नत्थूराम ने एक वाद अन्तर्गत धारा 68 व 136 एल.आर.एक्ट. में पेश किया। वाद पत्र में चक 18 एमएमके के खाता संख्या 73/43 की कुल 6.970 है0 भूमि को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए अपना 1. 394 है0 हक हिस्सा होना बताया एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 0.754 है0 एवं प्रतिवादी सं0 9 का 0.351 है0, एवं प्रतिवादी का संख्या 10 व 11 का 0.109 है0 कुल 1.394 हैक्ट0 भूमि को कलमजन कर वादी को 1.394 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित करने व इसी प्रकार रिकार्ड को दुरूस्त करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने जवाब वाद इकबाल प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं वाद इकबाल के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अपीलाण्ट की कृषि भूमि के संबंध में [illegible] करके अपीलाण्ट का नाम कलमजन करवा दिया है जबकि इनका उन्हें अधिकार नहीं था। अपीलाण्ट के सम्मन गलत पते पर भिजवाये गये। तामील [illegible] नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 15/2012 उद्योगपाल बनाम हंसराज आदि लम्बित है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम पेश कर रखा है। प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का 0.754 है0 की बजाय 1.005 है0 हक व हिस्सा बनता हैं इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेण्ट्स को है। फिर भी इनके द्वारा छुपे तौर पर इस वाद के लम्बनकाल के दौरान ही यह वाद निर्णित करवाया है। पूर्ववर्ती वाद के लम्बित होने के कारण इस भूमि में संबंध में घोषणा का वाद पोषणीय नहीं था। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2, 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट का हिस्सा अधिक दर्ज हो गया था उसे दुरूस्त किया गया है। 1962 में जो करैक्शन हुआ था की घोषणा मांगी गई है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट का जमाबंदी में जो पता लिखा गया है वहीं पर ही सम्मन भिजवाये गये थे। अपीलाण्ट की तामील विधि सम्मत है। दस्तबरदारी में जो भूमि हैं उससे इस भूमि का कोई संबंध नही है। अपीलाण्ट मियाद बाहर अपील पेश की है विलम्ब का समुचित कारण नही बताया है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. रेसपोडेण्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 7 से 14, 19 ता 22, 24 से 33 ने अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
9. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणागुवण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
10. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने वाद अन्तर्गत धारा 68 व 136 एल.आर. एक्ट. में पेश किया किया जिसे स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी सामने आया है कि अधीनस्थ न्यायालय में इन्हीं पक्षकारों एवं इसी भूमि के संबंध में एक अन्य वाद संख्या 15/2012 उद्योगपाल बनाम हंसराज आदि विचाराधीन है जिसमें अपीलाण्ट का काउण्टर क्लेम पेश किया हुआ है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अपीलाण्ट एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसका नाम कलमजन कर दिया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर [illegible] अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं [illegible] के निर्णय एवं डिक्री 03.04. 2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण [illegible] को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि [illegible] का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 19-07-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

19/7/21

(करतारसिंह पूनीयॉ)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:09 IST
Reason: SelfAttested